अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. मैं आप सभी का वर्ष 2009 में विधानसभा के प्रथम सत्र तथा 11वीं विधानसभा के पांचवें सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूं। आप के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की वर्ष 2009 में समृद्धि एवं खुशहाली की भी कामना करती हूं। मुझे आशा है कि नव वर्ष हमें नई शक्ति, ऊर्जा और प्रतिबद्धता प्रदान करेगा ताकि हम प्रदेश और प्रदेशवासियों की सेवा कर सकें। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण करने के उपरांत मैं प्रथम बार हिमाचल प्रदेश की इस सम्माननीय विधानसभा को संबोधित कर रही हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पहाड़ी राज्य, जिसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों के प्रशंसनीय चारित्रिक गुणों के लिए जाना जाता है, के राज्यपाल के पद पर आसीन हूं।

2. मेरी सरकार ने लगभग एक वर्ष पूर्व 30 दिसम्बर, 2007 को कार्यभार संभाला था और इस अल्पावधि में उसने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कीं हैं। मेरी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है और चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए लगभग 80 प्रतिशत वायदों को पूरा कर दिया है।

3. मेरी सरकार समाज के उपेक्षित एवं कमज़ोर वर्गों के उत्थान के प्रति वचनबद्ध है और इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, अपंगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने गत वर्ष सत्ता में आते ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया था । यह प्रसन्नता की बात है कि प्रथम जनवरी, 2009 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।

4. अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन में गत वर्ष की तुलना में 157 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित

करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अम्बेदकर भवन के निर्माण हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र 10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और इसकी विकास संबधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत सरकार ने 'क्रीमी लेयर' के मापदंड निर्धारण के लिए आय सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपये वार्षिक निर्धारित किया है।

5. राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। मेरी सरकार कुल राज्य वार्षिक योजना का नौ प्रतिशत भाग अनुसूचित क्षेत्र उप-योजना के लिए निर्धारित करने के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान अनुसूचित उप-योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण पर 216 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में गठित परियोजना सलाहकार समिति, जिसमें हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद् और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य हैं, की संस्तुति के आधार पर उप-योजना के निर्धारण के लिए विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को अपनाया गया है। जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर 45.72 करोड़ रुपये, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर 17.09 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं जलापूर्ति योजनाओं पर 29.41 करोड़ रुपये और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर 47.04 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

6. मेरी सरकार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अधिनियम को कार्यान्वित करने के विशेष प्रयास कर रही है। वर्ष के दौरान, शारीरिक रूप से अक्षम 1048 व्यक्तियों को तीन प्रतिशत आरक्षण के तहत सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले शीतकालीन विशेष ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश से चयनित छह विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान **विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत योजना 'सहयोग'** आरंभ की गई

ताकि उनकी छात्रवृत्ति, स्वरोज़गार के लिए ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह हेतु अनुदान संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। राज्य में पहली बार विकलांग बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की गई है और ऐसे 38 बच्चों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

7. महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार का एक सजग प्रयास है। गत वर्ष आई.सी.डी.एस. नेटवर्क के माध्यम से राज्य में 3137 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इन स्वयं सहायता समूहों ने आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों से ऋण के रूप में 5.72 करोड़ रुपये प्राप्त किए तथा 5.22 करोड़ रुपये की बचत की। अभी तक राज्य में 23072 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। राज्य में एनीमिया की पहचान और रोकथाम के लिए आई.सी.डी.एस. के माध्यम से 66,559 लड़कियों का हिमोग्लोबिन जांच हेतु रक्त परीक्षण किया गया।

8. मेरी सरकार ने सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-2009 के दौरान सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं, शौर्य पदक विजेताओं तथा उनके आश्रितों की कुल संख्या लगभग दस लाख है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में झंडा दिवस कोष से शहीद सैनिकों व पूर्व सैनिकों की 75 विधवाओं को 1.5 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए। राज्य के 966 शौर्य पदक विजेताओं पर दो करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 1834 लाभार्थियों को युद्ध जागीर के रूप में 22 लाख रुपये दिए जा रहे हैं और वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3409 लाभार्थियों पर 1.18 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक रोज़गार प्रकोष्ठ के माध्यम से 145 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को राज्य तथा केंद्रीय सेवाओं में रोज़गार प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम ने भी 1564 भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्ड के तौर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं।

9. हिमाचल प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री की

अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। 1050 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सम्मान राशि के रूप में दो हज़ार रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी प्रदान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के उपरांत यह सम्मान राशि उनकी पत्नी को तथा दोनों की मृत्यु की स्थिति में उनकी अविवाहित पुत्रियों के नाम स्थानांतरित कर दी जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों और पोतियों के विवाह के लिए 10 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

10. कृषि क्षेत्र राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि राज्य की 90 प्रतिशत जनता अभी भी गांवों में निवास करती है। मेरी सरकार ने फसल विविधीकरण के द्वारा कृषि आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। वर्ष के दौरान मेरी सरकार ने 352.92 करोड़ रुपये की पंडित दीन दयाल किसान-बागवान समृद्धि योजना आरंभ की है जो कृषि विविधीकरण को नए आयाम देगी तथा कृषि आय व कृषि रोज़गार बढ़ाएगी। इस योजना के माध्यम से 28,820 पॉलीहाउस/सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिनके लिए किसानों को 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 20 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से आगामी चार वर्षों में लगभग 24 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 40 हज़ार लोगों को अप्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त होगा।

11. जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में वर्ष के दौरान 1.25 लाख केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती के लिए 4500 किसानों का पंजीकरण भी किया गया है। नवंबर, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जैविक खेती मेले में हिमाचल को जैविक खेती प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्य में एक लाख किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए हैं ताकि वे फसल उपयुक्तता तथा फसलों के लिए आवश्यक पोषण का निर्धारण कर सकें। राज्य सरकार ने विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 100 तथा कृषि

विस्तार अधिकारियों के 300 पद स्वीकृत किए हैं। फसलों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सिरमौर ज़िले की अदरक की फसल को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल किया है। वर्ष के दौरान राज्य की पांच बड़ी फसलें मक्का, गेहूं, धान, जौ और आलू पहले से ही इस योजना में शामिल हैं।

12. हिमाचल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2008-2009 में बागवानी विकास कार्यक्रमों पर योजना तथा गैर योजना मद के अंतर्गत 94.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बागवानी के अंतर्गत दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जिसमें से 0.947 लाख हेक्टेयर क्षेत्र केवल सेब की फसल के अंतर्गत आता है। हर वर्ष 4 हज़ार से 6 हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के तहत लाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 583.44 हेक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अंतर्गत है। बागवानी उद्योग, राज्य की आर्थिकी में 2 हज़ार करोड़ रुपये का योगदान दे रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के विपणन ढांचे को सुदृढ़ किया है और मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लिए जा रहे सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाया है। उत्पादकों को उनके बागवानी उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-2009 में मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत 23.94 करोड़ रुपये के 45605 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई और वर्तमान मौसम में नींबू प्रजाति के फलों के प्रापण का कार्य भी प्रगति पर है।

13. अक्तूबर, 2003 में राज्य में आरंभ की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना 'बागवानी तकनीकी मिशन' को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है तथा अभी तक केंद्र सरकार से 110.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। इस तकनीकी मिशन के आरंभ होने के उपरांत प्रदेश का 6,34,476 वर्ग मीटर क्षेत्र फूलों तथा सब्ज़ियों की संरक्षित खेती के अधीन लाया गया है। राज्य के बागवानों में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 4707 केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में 13 बड़ी, 44 छोटी नर्सरियां, तीन टिश्यू

कल्चर प्रयोगशालाएं और 19 औषधीय बागीचे स्थापित किए गए हैं। उन्नत उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बागवानों को 415 पावर टिल्लर उपलब्ध करवाए गए। फल उत्पादन तथा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राज्य के बागवानों को विभागीय बागीचों के माध्यम से पौधों की उन्नत किस्में तथा सेब, चैरी, प्लम, बादाम तथा नैक्टरीन के रूट स्टॉक का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2008 में 14 हज़ार क्लोनल रूट स्टॉक तथा फलदार पौधों की 25,100 उन्नत किस्में आयात की गईं, जिनमें से 16,910 आयातित पौधे बागवानों को वितरित किए जा रहे हैं।

14. राज्य के किसानों की आर्थिकी में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में 2137 पशु चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रहीं हैं। इनमें से, 1932 पशु चिकित्सा संस्थानों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्राप्त है। वर्तमान वर्ष के दौरान 17 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है तथा 37 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से दिसंबर, 2008 तक 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पशुओं की नस्ल सुधारने तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग पशु चिकित्सा सहायता, टीकाकरण, चारा विकास इत्यादि कार्यक्रम भी चला रहा है जिनका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अप्रैल, 2008 से दूध के प्रापण मूल्य में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। किसानों की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए विभाग द्वारा शिमला, चम्बा, कांगड़ा, ऊना, सोलन तथा हमीरपुर ज़िलों में पशु पंजीकरण योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक नौ लाख पशु पंजीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत आवारा पशुओं को गौ-सदनों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

15. मेरी सरकार मत्स्य क्षेत्र को उचित प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य के जल स्रोतों में जल-जैव विविधता को बचाने के उद्देश्य से जल विद्युत परियोजनाओं

के बांधों व जलाशयों से नीचे की ओर 15 प्रतिशत जल छोड़ा जाना अनिवार्य बनाया गया है। दिसंबर, 2008 तक राज्य में 2429.43 लाख रुपये मूल्य की 5151.33 मीट्रिक टन मछली और 157.03 लाख कार्प बीज का उत्पादन किया गया। राज्य में जल स्रोतों में हो रहे पारिस्थितिकीय बदलावों के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से नदियों में मछली बीज भण्डारण का कार्य आरंभ किया गया है। राज्य में व्यावसायिक तौर पर ट्राउट मछली पालन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीज भण्डारण को बढ़ाकर और संरक्षण के उपाय अपनाकर राज्य में मछली उत्पादन की गिरती दर को रोका गया है। दिसंबर, 2008 तक राज्य के जलाशयों में 455 लाख रुपये की 965 टन मछली का उत्पादन किया गया, जोकि गत वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में 226.01 टन अधिक है। राज्य में खुले जल में मछली व्यवसाय में संलग्न सभी मछुआरों को 50 हज़ार रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

16. राज्य के सभी ज़िलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में इस अधिनियम के तहत चम्बा और सिरमौर ज़िले शामिल किए गए थे। दूसरे चरण में एक अप्रैल, 2007 से कांगड़ा और मण्डी ज़िलों को शामिल किया गया। तीसरे चरण में प्रथम अप्रैल, 2008 से प्रदेश के शेष आठ ज़िलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत 120.55 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए और 3,63,150 घरों को रोज़गार प्रदान किया गया, जिस पर 193.10 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

17. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बेघर ग्रामीण परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 38,500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है । अब प्रथम अप्रैल, 2008 से राज्य सरकार ने ‘अटल आवास योजना’ के नाम से ग्रामीण आवास योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत भी प्रति लाभार्थी 38,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे बेघर ग्रामीण परिवारों को शीघ्र ही आवास सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी ।

18. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10 से 75 वर्ष की सभी महिलाओं को मातृ शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के तहत पारिवारिक सदस्यों/ बीमा धारी महिलाओं को मृत्यु या दुर्घटना, शल्य क्रिया व बच्चे को जन्म देने के समय होने वाली दुर्घटना, डूबने या सर्पदंश की स्थिति में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में प्रावधान है कि यदि किसी विवाहित महिला की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए तो उसके पति को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रथम अप्रैल, 2008 से इस योजना के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में मुआवज़े की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये, दुर्घटना के कारण अपंग होने की स्थिति में मुआवज़े की राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये की गई है।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी ज़िलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य की कुल 3243 ग्राम पंचायतों में से 267 ग्राम पंचायतों को खुला शौच मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से आरम्भ की गई महिला मंडल प्रोत्साहन योजना को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है ताकि ग्राम, वार्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर खुला शौच मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए महिला मंडलों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन दिया जाए।

20. वर्ष 1999-2000 से प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सहायता देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, जिसके लिए उन्हें आय सृजन के संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 'स्वरोज़गारी' कहा जाता है। यह योजना एक ऋण एवं उपदान कार्यक्रम है। इस योजना में निर्धन ग्रामीणों में असहाय वर्ग को लक्षित किया गया है। इसी के अनुरूप, स्वरोज़गारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की संख्या पचास प्रतिशत, महिलाओं की 40 प्रतिशत तथा विकलांगों की संख्या तीन प्रतिशत है। योजना के आरंभ होने से अब तक 8418 स्वयं सहायता समूह गठित किए

गए हैं। वर्ष 2008-2009 में दिसंबर, 2008 तक 609 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा 4959 बीपीएल परिवारों से गठित 456 समूहों ने आर्थिक गतिविधियों को अपनाया है। इन समूहों को 387.44 लाख रुपये उपदान के रूप में और 1308.56 लाख रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए गए।

21. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावशाली कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। राज्य सरकार ने ज़िला परिषद् तथा पंचायत समितियों के पदाधिकारियों को आधिकारिक दौरों के दौरान सरकारी विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा प्रदान की है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2008 से वृद्धि की है। संशोधित दरों के अनुसार, ज़िला परिषद् अध्यक्ष को 3500 रुपये प्रतिमाह, उपाध्यक्ष को 2500 रुपये प्रतिमाह, पंचायत समिति अध्यक्ष को 1800 रुपये और उपाध्यक्ष को 1500 रुपये प्रति माह, ग्राम पंचायत प्रधान को 1200 रुपये और उप-प्रधान को एक हज़ार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ज़िला परिषद् सदस्य का मानदेय 1500 रुपये प्रति माह और पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 1200 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रति माह अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 150 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत सहायकों का मानदेय 2340 रुपये से बढ़ाकर 3120 रुपये किया गया है। पंचायत सहायकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ पंचायत सहायकों को अनुबंध के आधार पर पंचायत सचिव के रूप में पदोन्नत किया जाए। इस वर्ष 4680 रुपये के मासिक मानदेय पर 260 पंचायत सहायकों को अनुबंधित पंचायत सचिव बनाया जाएगा। प्रथम जून, 2008 से पंचायत समितियों के कनिष्ठ लेखपाल का मासिक मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 4800 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रथम जून, 2008 से ज़िला परिषद् के सहायक अभियंता का मासिक मानदेय आठ हज़ार रुपये से बढ़ाकर 11,820

रुपये निर्धारित किया गया है। प्रथम जनवरी, 2009 से ग्राम पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं का मासिक मानदेय 900 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये निर्धारित किया गया है।

22. सहकारिता आंदोलन को एक कार्यक्रम के बजाए एक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय को आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़कर देखता है। राज्य में ग्रामीण व पारिवारिक स्तर पर सहकारिता आंदोलन की शत-प्रतिशत पहुंच है। वर्तमान में, राज्य में विभिन्न प्रकार के 4426 सहकारिता संस्थान कार्यरत हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या 13.87 लाख है। इन संस्थानों की कुल जमा पूंजी 180.26 करोड़ रुपये है, संचित राशि 7663.46 करोड़ रुपये तथा कार्य पूंजी 10,392.25 करोड़ रुपये है। 2863 उचित मूल्य की दुकानों तथा 2312 खाद वितरण केंद्रों के सशक्त नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश में सहकारिता समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद वितरण, मध्याह्न भोजन योजना, काम के बदले अनाज इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहीं हैं। मेरी सरकार इन सहकारी संस्थाओं को जमा पूंजी तथा उपदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पांच मेगावाट तक की क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

23. मेरी सरकार ने राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाया है। वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 425 हजार मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने जनवरी, 2008 से लेकर दिसंबर, 2008 के मध्य 600 करोड़ रुपये की वस्तुएं वितरित कीं, जोकि गत वर्ष की इस समयावधि में वितरित की गई वस्तुओं के मूल्य से लगभग 66 करोड़ रुपये अधिक है। 4362 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से विभाग अनाज के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल और चीनी इत्यादि भी वितरित कर रहा है। इन दुकानों में से लगभग 70 प्रतिशत दुकानें सहकारी क्षेत्र में हैं। राज्य में तीन दालों, दो खाद्य तेलों और नमक पर राज्य उपदान योजना

सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अपने संसाधनों से लगभग 130 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश उपभोक्ता जागरूकता नीति तैयार की है जिसे पंचायत स्तर तक कार्यान्वित किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सके।

24. मेरी सरकार प्रदेश की जनता को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, लेकिन मेरी सरकार अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 176 चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पैरा मेडिकल कर्मचारियों के 442 पद सृजित किए हैं तथा सीधी भर्ती के माध्यम से 1034 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक, नर्सो और अन्य वर्गो के 262 पद भरे जा चुके हैं, जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों में टेन्योर पोस्ट डाक्टरों के लिए एक नई नीति तैयार की है ताकि इन संस्थानों में चिकित्सक हर समय उपलब्ध रहें।

25. राज्य सरकार ने हमीरपुर, ऊना और मंडी ज़िले के सरकाघाट में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु सर्वेक्षण और निविदा आमंत्रित करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। मण्डी में केंद्र सरकार की एक संस्था 'ई.एस.आई.सी' द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सोलन में मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय और पालमपुर में विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास द्वारा निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इंटरनेट सुविधाओं के साथ टेलिमेडिसिन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में 19 टेलिमेडिसिन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार निजी क्षेत्र में नर्सिंग महाविद्यालय और नर्सिंग विद्यालय स्थापित कर रही है तथा भारतीय नर्सिंग परिषद् को कुछ निजी संस्थानों की संस्तुति की गई है। सिरमौर ज़िले के बड़ू साहिब में वर्ष 2008 में निजी क्षेत्र में एक बी.एस.सी नर्सिंग महाविद्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09

में कांगड़ा तथा शिमला ज़िलों में बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की है।

26. राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आई.जी.एम.सी., शिमला तथा डा. आर.पी.जी. एम.सी, टांडा के अध्यापन कैडर को अलग किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में केवल 235 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत थीं, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक रोगी कल्याण समितियों की संख्या दोगुने से अधिक अर्थात् 485 तक पहुंच चुकी है। इस वर्ष राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रावधान के उद्देश्य से रोगी कल्याण समितियों को 6 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को निजी स्वास्थ्य संस्थानों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु एक नीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों को विकेंद्रीकृत रूप से सूचीबद्ध किया गया गया हैं। इसके लिए निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं को शक्तियां प्रदान की गई हैं और राज्य से बाहर के 36 निजी अस्पताल और राज्य में चल रहे 40 निजी स्वास्थ्य संस्थान अभी तक सूचीबद्ध किए जा चुके हैं।

27. मेरी सरकार ने आई.जी.एम.सी, शिमला में एम.बी. बी.एस की सीटें 65 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि आई.जी.एम.सी शिमला में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में नौ सीटों की बढ़ोतरी की जाए तथा डा. आर.पी.जी.एम.सी, टांडा में 11 स्नातकोत्तर सीटें आरंभ की जाएं।

28. आयुर्वेद विभाग राज्य में 25 आयुर्वेदिक अस्पतालों, 1109 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों, 14 होम्योपेथी, तीन यूनानी, चार आमची और एक प्राकृतिक उपचार इकाई के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी सरकार ने प्रदेश भर में 'वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल' अभियान आरंभ किया है। सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक मंगलवार को विशेष ओ.पी.डी आरंभ की गई है। राज्य में 2 अक्तूबर, 2008 को कांगड़ा ज़िले के पपरोला से एनीमिया मुक्त

हिमाचल कार्यक्रम आरंभ किया गया है। पहले चरण में यह कार्यक्रम कांगड़ा तथा हमीरपुर ज़िलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 2 अक्तूबर, 2008 को कांगड़ा ज़िले के पपरोला में 80.34 लाख रुपये की लागत से निर्मित नई राजकीय चरक आयुर्वेदिक फार्मेसी और 4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 100 बिस्तरों वाले दीनदयाल क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल का लोकार्पण किया गया। मेरी सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 150 पद (पचास प्रतिशत सीधी भर्ती और पचास प्रतिशत बैच के आधार पर) भरने और 300 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एक वर्ष का प्रशिक्षण देने की अनुमति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 84.07 लाख रुपये और राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए 1.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

29. मेरी सरकार राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में एक से डेढ़ किलोमीटर और अन्य क्षेत्रों में डेढ़ से तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक/ प्रारंभिक विद्यालय खोले गए हैं ताकि सभी को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ हो सके। सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत वैकल्पिक विद्यालय की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। प्रदेश में 'ड्रॉप आउट रेट' घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गया है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 111.84 प्रतिशत की सकल नामांकन दर (जी.ई.आर) और 90.91 प्रतिशत की कुल नामांकन दर (एन.ई.आर) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 131.98 प्रतिशत सकल नामांकन दर और 92.34 प्रतिशत की कुल नामांकन दर हासिल की गई है। राज्य में प्राथमिक/ प्रारंभिक स्तर पर नामांकन में लिंग एवं सामाजिक समानता का लक्ष्य भी हासिल किया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के पदों को भरने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 18 हज़ार पदों को भरने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार 'डाइट' से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों में से जेबीटी के खाली पड़े 1611 पदों को भर रही है। राज्य के सभी 12 'डाइट्स' में नवंबर, 2008 से कुल 1800 सीटों में से 1737 उम्मीदवारों का दो वर्षीय जेबीटी प्रशिक्षण आरंभ

कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उन शिक्षकों की सेवाएं नियमित कर दी हैं जिन्होंने प्राथमिक/ प्रारंभिक विद्यालयों में अनुबंध आधार पर आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया था। मेरी सरकार ने राज्य के 100 चिन्हित विद्यालयों में छठी कक्षा से पंजाबी भाषा आरंभ करने का निर्णय लिया है। जुलाई, 2008 से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई है। मेरी सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में योग शिक्षा पर बल देने की पहल की है।

30. मेरी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। वर्ष 2008–2009 में मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और आईआरडीपी श्रेणी के नौवीं व दसवीं कक्षा के 1,26,745 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर 8.72 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं। वर्ष 2008–2009 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए नौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कालेज प्रवक्ताओं के 634 पद, स्कूल काडर प्रवक्ताओं के 1404 पद और सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के 200 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कॉलेज काडर के प्रधानाचार्यों के 16 पद, स्कूल काडर के प्रधानाचार्यों के 895 पद, स्कूल काडर प्रवक्ताओं के 959 पद, प्रधानाचार्यों के 702 पद, अधीक्षक ग्रेड–प् के 12 पद, अधीक्षक ग्रेड–प्प् के 190 पद, वरिष्ठ सहायकों के 272 पद, लिपिकों के 41 पद और कनिष्ठ प्रवक्ता सहायकों के 48 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के 98 प्रतिशत शैक्षणिक संस्थानों में संस्थानाध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 2 जून, 2008 को इंटेल टैक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2000 अध्यापकों को शिक्षण योग्यता प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य के उन सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों जिनमें नामांकन पचास या इससे अधिक है, सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय

स्थापित करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। कांगड़ा ज़िले के देहरा में इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि का चयन किया गया है, जिसका निरीक्षण केंद्रीय दल द्वारा किया गया है। निजी क्षेत्र में बड्डू साहिब में इटरनल विश्वविद्यालय और बरोटीवाला में चिटकारा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

31. राज्य के सामाजिक-आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। राज्य में वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बी. फार्मेसी कॉलेज, नौ पॉलीटेक्निक और 77 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा निजी क्षेत्र में पांच इंजीनियरिंग कॉलेज, नौ फार्मेसी कॉलेज, चार पॉलीटेक्निक और 51 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। वर्ष 2008-2009 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से आठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत केंद्र सरकार से पचास करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए ढाई करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस राशि से इन संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 7.24 करोड़ रुपये का 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' कार्यान्वित किया जा रहा है।

32. मेरी सरकार ने खेलों को निचले स्तर तक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं जैसे खेल मैदानों/स्टेडियमों का निर्माण, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण और राज्य खेल संघों को सहायतानुदान इत्यादि आरंभ किए हैं। दिसंबर, 2008 में हमीरपुर में राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य में पहली बार आयोजित किए गए इस खेल उत्सव में हिमाचल प्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। ऊना में भी पहली बार विकलांगों के लिए राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण कार्यक्रमों जैसे नोडल क्लब योजना, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा महोत्सव

और युवा कार्य शिविर आदि के साथ संबद्ध कर, युवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 71,500 विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

33. केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय ने पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली जिसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान किया गया है, को मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2008–2009 के दौरान इस संस्थान ने साहसिक खेलों की विभिन्न विधाओं में 3356 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रदेश में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न विधाओं में आधारभूत प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने की बढ़ती मांग के दृष्टिगत राज्य सरकार आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल परिवारों से संबंधित खिलाड़ियों को स्कीईंग, पर्वतारोहण तथा जल क्रीड़ा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा रोहतांग दर्रे के दोनों ओर मढ़ी तथा कोकसर में पर्वतारोहण दलों की सहायता तथा स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रा पार करवाने के लिए बचाव चौकियां स्थापित की गई हैं।

34. मेरी सरकार प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी नीति अपनाई है जिसके तहत ऊर्जा क्षेत्र का निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य क्षेत्र में 1123.10 मेगावाट क्षमता की 13 जलविद्युत परियोजनाएं निष्पादित की जा रहीं हैं। राज्य की चार परियोजनाओं– 111 मेगावाट की सावड़ा–कुड्डू, 195 मेगावाट की कशांग, 100 मेगावाट की सैंज और 402 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना का निष्पादन हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 800 मिलियन यू.एस डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। 2803 मेगावाट क्षमता की पांच जलविद्युत परियोजनाएं– चमेरा चरण–तीन, कोल डैम, रामपुर, धौलासिद्ध, पार्वती चरण–दो एवं चरण–तीन केंद्रीय/संयुक्त क्षेत्र में निष्पादित की जा रहीं हैं। 11वीं योजना के दौरान 34 परियोजनाओं के

माध्यम से लक्षित क्षमता वृद्धि 5664 मेगावाट ऊर्जा है। राज्य में उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा बचत वाले साधनों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 23 नवंबर, 2008 को अटल बिजली बचत योजना नामक एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 16 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को चार साधारण बल्बों के बदले चार सीएफएल बल्ब निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने राज्य में भविष्य में स्थापित होने वाली परियोजनाओं से ऊर्जा लेने के उद्देश्य से राज्य में पृथक् 'ट्रांसमिशन पावर कार्पोरेशन' की स्थापना की है, जो प्रदेश में नियोजन, निष्पादन और विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करेगा। एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी) ने इस निगम के लिए राज्य के ट्रांसमिशन मास्टर प्लान हेतु तकनीकी सहायता के तौर पर नौ लाख यू.एस. डॉलर की धनराशि स्वीकृत की है।

35. मेरी सरकार ने नए राष्ट्रीय उच्च मार्गों की घोषणा के लिए भारत सरकार के समक्ष मामला प्रभावी ढंग से उठाया, जिसके परिणामस्वरूप नगरोटा–रानीताल–देहरा–मुबारकपुर और पांवटा–राजबन–शिलाई–मीनस–हाटकोटी राज्य उच्च मार्गों को 2 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। 500 व उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़क सुविधा प्रदान करने और पंचायत मुख्यालयों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए, वर्तमान में जहां भी सड़क कार्य हो सकते हैं, कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं। दिसंबर, 2008 तक 229 नई बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा 29 बड़े पुल और 21 बड़े भवन निर्मित किए गए हैं। जनवरी, 2009 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जा रहे नए कार्यों का खर्च 59 करोड़ रुपये है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है तथा इस वर्ष के अंत तक इसके 70 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। राज्य सड़क परियोजना के तहत राज्य के बड़े उच्च मार्गों को 591 करोड़ रुपये की लागत से पांच पैकेजों में स्तरोन्नत करने का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों के मध्य दूरी कम करने के उद्देश्य से पांच सुरंग परियोजनाओं, जिनका तकनीकी तथा आर्थिक आधार पर निर्माण संभव है, के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रहीं हैं। इन

परियोजनाओं के लिए बाह्य वित्त पोषण और सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

36. मेरी सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने और राज्य के किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान 5184 बस्तियों को इन सुविधाओं के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में पेयजल आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 1152 हैंड पम्प स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार राज्य में मुख्य रूप से वर्षा जल संग्रहण ढांचे के माध्यम से जल संरक्षण उपायों पर बल दे रही है। सभी सरकारी भवनों, संस्थागत भवनों, विद्यालयों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों में वर्षा जल संग्रहण के लिए अधोसंरचना निर्माण को आवश्यक बनाया गया है और इन सभी इकाइयों को इस जल का पेयजल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में सदुपयोग करने के लिए कहा गया है। राज्य ने अपनी 'राज्य जल नीति' अपनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना और अधिकांश खेती योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। चम्बा तथा पालमपुर में दो जलापूर्ति योजनाओं के संवर्द्धन का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के 24 शहरों में मल निकासी सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नारकंडा और भुंतर की मल निकासी योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु स्वां नदी तटीकरण (चरण-दो) के लिए 235.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिससे पांच हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण होगा।

37. मेरी सरकार राज्य में समुचित, पर्यावरण मित्र और सतत् औद्योगिकीकरण को प्रमुखता प्रदान कर रही है। दिसंबर, 2008 के अंत तक राज्य में कुल 35,427 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत थीं, जिनमें से 401 मध्यम तथा बड़े क्षेत्र में हैं। इन इकाइयों में कुल निवेश 7737.8 करोड़ रुपये है तथा इनमें 2,24,310 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। हमें राज्य को जनवरी, 2003 में दिए गए विशेष औद्योगिक पैकेज का अधिकाधिक लाभ उठाने की उम्मीद है,

ताकि राज्य के लिए अगले वर्ष भी और अधिक निवेश आमंत्रित किया जा सके। मेरी सरकार ने नवंबर, 2008 में गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्य में विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन कार्यों के लिए पर्यावरण मित्र प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य सरकार ने दिसंबर, 2008 में कंटेनर कारपोरशन ऑफ इंडिया के साथ भी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया, जिससे बद्दी में एक इनलैण्ड कंटेनर डिपो स्थापित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के निर्यातकों को माल की आवाजाही और व्यापारिक आदान–प्रदान में सहायता मिलेगी। हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 2008–09 में 100.90 लाख रुपये की लागत से कांगड़ा तथा मण्डी ज़िलों में 3100 हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दो समूह स्वीकृत किए गए ताकि राज्य के बुनकरों को आधारभूत जानकारी और विपणन सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। रेशम पालन के क्षेत्र में, जोकि राज्य के गरीब किसानों की अतिरिक्त आय का माध्यम है, राज्य सरकार किसानों को शहतूत के पौधे, रेशम के कीड़े और कीटनाशकों के रूप में सहायता प्रदान कर रही है। खनन क्षेत्र में मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है और अप्रैल से दिसंबर, 2008 के मध्य राज्य में अवैध खनन के 1236 मामले पकड़े गए और उल्लंघनकर्ताओं से 25.54 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए।

38. मेरी सरकार ने ''हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोज़गार योजना'' नामक एक नई योजना आरंभ की है, जिसके तहत ''प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना'' और ''मुख्यमंत्री पथ योजना'' के अंतर्गत तैयार नई सड़कों पर अधिकतम 22 सीटों वाली गाड़ियां चलाने हेतु राज्य के बेरोज़गार युवाओं, बेरोज़गार चालकों व परिचालकों तथा सहकारी समितियों को नए परमिट दिए जाएंगे। एच.आर.टी.सी ने 11 वॉल्वो बसों का बेड़ा बनाया हैं। निगम ने प्रदेश के विभिन्न भागों से दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए डीलक्स किराये पर 21 ए.सी बस सेवाएं आरंभ की हैं। निगम ने एच.आर.टी.सी में सामग्री की खरीद के लिए 'ई–टेंडरिंग' सेवा आरंभ की है, जिसके माध्यम से खरीद प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई

है। निगम ने एच.आर.टी.सी पोर्टल पर वॉल्वो तथा डीलक्स बसों की ऑन–लाइन बुकिंग आरंभ की है। मदिरा सेवन कर वाहन चलाने वालों पर नज़र रखने के लिए उड़नदस्तों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को एल्को सेंसर्ज़ उपलब्ध करवाए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों और परिवहन नाकों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। निजी तथा सार्वजनिक सहभागिता के तहत 62 प्रदूषण जांच केंद्र और 96 चालक प्रशिक्षण विद्यालय आरंभ किए गए हैं।

39. पर्यटन, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव का सशक्त एवं लाभप्रद माध्यम है, जो रोज़गार एवं निवेश को बढ़ावा देता है। मेरी सरकार का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार अवसरों का सृजन, सहयोगी सुविधाओं और अधोसंरचना का निर्माण करना है। मेरी सरकार केंद्र सरकार से विभिन्न सर्किटों एवं पर्यटक स्थलों के लिए 46 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रही है। अतिथि सत्कार की हिमाचली परम्परा के दृष्टिगत मेरी सरकार ने 'होम स्टे' योजना आरंभ की है, जो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने घरों को होटल के रूप में इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करती है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पांच वर्षों तक आवास मालिकों से बिजली तथा पानी का कोई भी वाणिज्यिक शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनसे किसी भी प्रकार का विलास कर भी नहीं वसूला जाएगा। मेरी सरकार ने 2008–2009 के बजट आश्वासनों में प्रदेश के छह स्थानों पर रज्जु मार्ग बनाने की घोषणा की थी। प्रस्तावित रज्जु मार्गों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। छह रज्जु मार्गों में से तीन के लिए स्थलों का चयन कर लिया गया हैं। ये स्थल हैं– कुल्लू ज़िले में भुंतर से बिजली महादेव, मढ़ी से रोहतांग और कांगड़ा ज़िले में धर्मशाला के समीप धर्मकोट से त्रियूंड। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मेलों, महोत्सवों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से हिमाचल को एक 'अविस्मरणीय' (कभी भुला न पाओगे) स्थल के रूप में प्रस्तुत किया है।

40. मेरी सरकार विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए वचनबद्ध है। इस वर्ष विख्यात हिमाचली लेखकों के जन्मदिवस के अवसर पर

विभिन्न सम्मेलन, काव्य गोष्ठियां और साहित्यिक विचार–विमर्श सम्मेलन आयोजित किए गए। हिंदी, संस्कृत तथा पहाड़ी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से हर वर्ष हिंदी, संस्कृत तथा पहाड़ी दिवस आयोजित किए जाते हैं। मेरी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही साहित्य के लिए दिए जाने वाले राज्य पुरस्कारों की पुरस्कार राशि दस हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दी है। संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली द्वारा प्रायोजित अंतरराज्यीय सांस्कृतिक दल आदान–प्रदान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के एक सांस्कृतिक दल ने केरल, उत्तराखंड और राजस्थान का दौरा किया तथा तमिलनाडु के सांस्कृतिक दल ने हमारे राज्य का दौरा कर विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

41. राज्य में शहरों का बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है। मेरी सरकार शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के प्रति सजग है। इस कार्य के लिए वर्ष 2008–09 में 49 शहरी स्थानीय निकायों को 41.76 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग एक हज़ार किलोमीटर सड़कों, गलियों और रास्तों के रख–रखाव के लिए 6 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए तथा शहरी नवीनीकरण सुविधा के अंतर्गत एक करोड़ रुपये प्रदान किये गए हैं। शिमला शहर के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चार परियोजनाओं/योजनाओं के लिए सरकार ने 5013 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह परियोजनाएं/योजनाएं हैं– ठोस कचरा प्रबंधन, ऑकलेंड हाउस विद्यालय के समीप वर्तमान सुरंग को चौड़ा व नीचा करने का कार्य तथा आशियाना–I एवं आशियाना–II आवासीय योजना। शहरी मलिन बस्तियों में सुधार के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को 244 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे इन बस्तियों में सामुदायिक स्नानागार, शौचालय और रैन बसेरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर मलिन बस्तियों में रह रहे 3300 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 31 शहरों की निर्माणाधीन मल निकास योजनाओं के लिए 2250 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

42. मेरी सरकार विभिन्न आय समूहों की बढ़ती हुई आवासीय आवश्यकताओं के प्रति जागरुक है। वर्ष 2008–09 के दौरान हिमुडा ने बद्दी के समीप भटोलीकलां में 608 श्रमिक फ्लैटों, नालागढ़ में 192 श्रमिक आवासों और परवाणू में 128 श्रमिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया। परवाणू में 88 अतिरिक्त श्रमिक आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। हिमुडा भटोली खुर्द (बद्दी), ऊना, दौंडी (मण्डी), हमीरपुर और भटयात (बिलासपुर) में आवासीय कालोनियों के निर्माण के लिए और अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त, हिमुडा वाकनाघाट, मण्डी तथा धर्मशाला में सेटेलाइट नगर बसाने के लिए भी भूमि अधिग्रहीत कर रहा है, जहां 'शिक्षा हब' के लिए भूमि पर भी विचार किया जा रहा है।

43. पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के क्षेत्रों में मेरी सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं। हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण के क्षेत्र में डायमंड स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरी सरकार ने मौसम के बदलाव से होने वाले दुष्प्रभावों और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पर्यावरण निधि गठित करने की पहल की गई है।

44. पश्चिमी हिमालय में स्थित होने के कारण हिमाचल प्रदेश के वन पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 4.7 प्रतिशत औसत के मुकाबले राज्य में कुल भू–भाग का 13.6 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अधीन है। अपनी भू–भौतिकीय विशेषताओं और स्थितिजन्य अनुकूलता के कारण हिमाचल प्रदेश में पौधों और जीव–जंतुओं की समृद्ध एवं विशेष विविधता उपलब्ध है। पौधों की सैकड़ों किस्मों का औषधीय मूल्य भी है, जिनका स्थानीय समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है। इनमें से अनेक का दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। राज्य सरकार ने प्रदेश की समृद्ध औषधीय सम्पदा के संबंध में लोगों को जागरुक बनाने के उद्देश्य से 'जन–जन वन संजीवनी' अभियान आरम्भ किया, जिसके

तहत गत वर्षा ऋतु के दौरान 3 अगस्त, 2008 को एक ही दिन में 15 लाख औषधीय पौधे वितरित किए गए।

45. हिमाचल प्रदेश देश के पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार, प्रति वर्ष 90 लाख पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाने हिमाचल प्रदेश आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत मेरी सरकार ईको पर्यटन को विशेष महत्व प्रदान कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी पर्यटन स्थलों की भीड़-भाड़ को कम करना, पर्यटकों को प्रकृति के समीप लाना तथा राज्य के लिए समुचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित बनाकर स्थानीय समुदायों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए 3.68 करोड़ रुपये की एक ईको पर्यटन परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से प्रदेश को 2.94 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस धनराशि से कुल्लू, शिमला, किन्नौर तथा बिलासपुर ज़िलों में ईको पर्यटन सर्किटों का सृजन किया जा रहा है।

46. राज्य में ज्ञान आधारित जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में घोषित करने का प्रयास सराहनीय है जिससे न केवल राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इससे रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, अनुसंधान एवं विकास को बल मिलेगा और राज्य में दक्ष श्रम शक्ति तैयार होगी।

47. मेरी सरकार ने केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिम ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने की दिशा में सतत् प्रयास किए हैं। ऊर्जा बचत करने वाले तथा गैर पारम्परिक क्षेत्र में उपयुक्त ऊर्जा उपकरणों जैसे सौर कुक्कर, सौर वाटर हीटिंग सिस्टम, सौर फोटो वॉल्टिक लाइट और हाइड्रैम इत्यादि के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में पांच मेगावाट तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन में भी हिम ऊर्जा राज्य सरकार की सहायता कर रही है। अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने पर 494 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

48. सूचना प्रौद्योगिकी और सम्प्रेषण माध्यमों के उपयोग से हिमाचल प्रदेश बेहतर प्रशासन की दिशा में

अग्रसर हुआ है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। राज्य प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए सबसे अधिक विकासशील राज्यों में से एक होने के नाते हमने 'इंडिया टैक एक्सिलैंस अवार्ड' प्राप्त किया है। डाटा क्वैस्ट- आई.डी.सी द्वारा करवाए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश को तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर आंका गया है। सूचना प्रौद्योगिकी को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में 3366 लोक मित्र केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजकीय सेवाओं के बेहतर संचालन के उद्देश्य से राज्य सरकार विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित कर रही है। स्टेट वाइड ऐरिया नेटवर्क के माध्यम से विभागों को चरणबद्ध ढंग से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। निकट भविष्य में स्थापित होने वाले राज्य डाटा केंद्र में एक केंद्रीकृत डाटा बेस का सृजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सहित उच्चतम प्रशासनिक स्तर तक लोगों की समस्याओं को ऑन-लाइन पहुंचाने के लिए ई-समाधान परियोजना आरंभ की गई है।

49. लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान, मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य, ज़िला तथा उप-मंडल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। जन शिकायतों के ऑन-लाइन अनुश्रवण के लिए लगभग सभी विभागों में वैब आधारित विशेष साफ्टवेयर विकसित कर, कार्यशील किया गया है। महिलाओं की शिकायतों के निपटारे के लिए सभी विभागों में एक महिला अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

50. मेरी सरकार सभी भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम चला रही है। 1042 लाख रुपये के व्यय से सभी 109 तहसीलों/उप-तहसीलों में डाटा एंट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है। 38 लाख रुपये व्यय कर हाल ही में सृजित उप-मंडलों/ तहसीलों/उप-तहसीलों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। सिरमौर ज़िले में आधुनिक तकनीक से पायलेट आधार पर भूमि का सर्वेक्षण भी किया जाएगा, जिस पर 429 लाख रुपये व्यय होंगे। राजस्व

अभिकरण में आवासीय आधारभूत अधोसंरचना को स्तरोन्नत करने के लिए वर्ष 2008–09 के दौरान 5.01 करोड़ रुपये व्यय कर 118 कानूनगो कार्यालय और पटवारखाने निर्मित किए जा रहे हैं। पटवार कानूनगो अभिकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी ज़िलों में अनुबंध आधार पर सौ पटवारी नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की है।

51. मेरी सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में हिमाचलवासियों को 70 प्रतिशत रोज़गार के अवसर सुनिश्चित बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 93 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित बनाने के लिए वर्तमान श्रमिक कानून पर्याप्त नहीं थे। सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियिम के अंतर्गत नये नियम बनाकर इन्हें अधिसूचित किया है। सरकार ने श्रमिकों की उचित पहचान सुनिश्चित बनाने के लिए 1.80 लाख श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किए और यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। वर्ष 2008–09 में बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से 200 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किए गए। हिमाचलवासियों को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधियों पर और बल दिया जाएगा तथा अगले वर्ष ऐसे और अधिक रोज़गार मेलों और कैम्पस साक्षात्कारों का आयोजन किया जाएगा।

52. मेरी सरकार ने अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए हैं, जिनके अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में कम से कम एक बार जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य बनाया गया है। इस संबंध में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक प्रावधान किया गया है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभागों में एक विशेष प्रावधान यह भी किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी जिसने शहरी क्षेत्र में दस वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो, को ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए भेजा जाए। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों का सेवा

ब्योरा ई–सर्विस बुक के माध्यम से राज्य सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पर डाला जाएगा, जिसके लिए वैब आधारित व्यक्तिगत प्रबंधन सूचना सेवा आरंभ की गई है।

53. मेरी सरकार ने ऐसे सभी दिहाड़ीदारों की सेवाएं नियमित करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने 31 मार्च, 2008 को आठ वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा कर लिया हो। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2008 को सभी सरकारी विभागों में निरन्तर आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मियों की सेवाएं भी नियमित की जाएं। राज्य सरकार ने पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की है, जिसके तहत सेवाकाल के दौरान विशिष्ट कार्य निष्पादन तथा सेवा के उच्चतम मूल्य स्थापित करने के लिए कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में अधिकतम पुरस्कारों की संख्या पांच होगी, जोकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रति वर्ष 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह प्रोत्साहन, वैयक्तिक तौर पर 51 हज़ार रुपये और सामूहिक तौर पर अधिकतम 2.50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा । मेरी सरकार ने बदलते हुए परिवेश में सभी कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों की सूची बनाने तथा भौतिक व वित्तीय उपलब्धियों के साथ–साथ आकलन हेतु कार्य–निष्पादन सूचक बनाने का निर्णय लिया है ।

54. हमने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़े कदम उठाए हैं, जोकि चुनावी घोषणा पत्र का प्रमुख मुद्दा था। मेरी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने तथा भ्रष्टाचारी को दंडित करने और पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश में सूचना के अधिकार को अक्षरशः लागू किया जा रहा है। राज्य के लोग जन अधिकारियों से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने लगे हैं। सभी सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के ज्ञान, दक्षता व व्यवहार को सुधारने एवं

स्तरोन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

55. मेरी सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को जनवरी, 2008 से 75 रुपये से बढ़ाकर सौ रुपये प्रति दिन तथा अंशकालिक कामगारों की दिहाड़ी को दस रुपये प्रति घंटे से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति घंटे किया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को एक मार्च, 2009 से सौ रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

56. कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक नवंबर, 2006 तथा एक अक्तूबर, 2008 से पांच-पांच प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत की दो किस्तें तथा एक फरवरी, 2009 से दस प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत की एक और किस्त जारी की है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तें भी प्रदान की गई हैं, जिनमें एक जनवरी, 2008 से दी गई महंगाई भत्ते की किस्त से यह भत्ता 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत और एक जुलाई, 2008 से दी गई किस्त से यह भत्ता 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत हो गया है। हिमाचल प्रदेश के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जनवरी, 2008 से छह प्रतिशत की दर से तथा प्रथम जुलाई, 2008 से सात प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की दो किस्तें जारी कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पाचं वर्ष की एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी लीव (ई.ओ.एल) की सुविधा भी बहाल की है और इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की है ताकि स्थापना व्यय को नियंत्रण में लाया जा सके और घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनगर्ठित किया जा सके। सरकार ने राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के नियमित, तदर्थ, अनुबंध, अंशकालिक और दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष के लिए अनिवार्य आधार पर समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना पुनः आरंभ की है। इस योजना के

तहत कर्मचारी 50 रुपये प्रति वर्ष के न्यूनतम प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा का लाभ उठा सकेंगे।

57. लघु बचत किसी भी राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार को राज्य में एकत्र की गई कुल लघु बचत पर केंद्र सरकार द्वारा सौ फीसदी हिस्सा आसान दर के ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसे विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत 105.71 करोड़ रुपये जमा किए गए।

58. आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य सरकार का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। गत वर्ष विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत इस विभाग ने राजस्व के रूप में 1674 करोड़ रुपये एकत्रित किए। इस वर्ष मेरी सरकार 1976.78 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में एकत्र करने की उम्मीद करती है। राज्य सरकार ने वर्तमान कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया है और जहां-जहां आवश्यकता महसूस की गई, वहां आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया भी अपनाई है ताकि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। बेहतर कर प्रशासन तथा मूल्य संवर्द्धित कर की चोरी को रोकने के लिए मूल्य संवर्द्धित कर की कार्यप्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

59. मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मेरी सरकार आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है। मेरी सरकार का मानना है कि कड़े कानून बनाने, पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और गुप्तचर तंत्र के संवर्द्धन के जो कदम अब केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, वह कदम बहुत पहले उठाए जा सकते थे । कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने प्रदेश में दो इंडिया रिज़र्व बटालियनें गठित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष सशक्त ढंग से उठाया और प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों के कारण ही यह बटालियनें राज्य को स्वीकृत हो पाईं। महिला रिज़र्व बटालियन के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मेरी सरकार ने आतंकी हमलों से निपटने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए हैं। मेरी सरकार पुलिस

बल का मनोबल ऊंचा रखने और उनकी सेवा स्थितियों में सुधार लाने के प्रति कटिबद्ध है। पुलिस बल के लिए आवास निर्माण को उचित प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

60. मेरी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आदर करती है तथा उसे उच्च सम्माननीय मानती है। मेरी सरकार ने न्यायिक परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। मेरी सरकार ने अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों की सेवा स्थितियों में सुधार के लिए शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को पूरी तरह लागू किया है।

61. राज्य सरकार ने आपराधिक मामलों में दण्ड दर सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया है और अभियोजन विभाग ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न्यायालयों में मामलों की प्रभावशाली पैरवी की। वर्ष 2007-08 में नागरिक मामलों में विभाग की सफलता दर 81 प्रतिशत थी और प्रथम अप्रैल, 2008 से नवंबर, 2008 के मध्य यह प्रतिशतता 88 रही। जांच के स्तर में सुधार के लिए और जांच के दोष दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में दस विधि अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो जांच में सहयोग कर रहे हैं और जघन्य अपराधों की जांच में पुलिस को उचित परामर्श दे रहे हैं।

62. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार मेरी सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों तथा गरीब लोगों को करूणा एवं सेवा भावना के आधार पर कानूनी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2008 के दौरान 268 लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 2074 मामले निपटाए गए और 64 एम.ए.सी.टी. मामलों में 99.15 लाख रुपये राहत के तौर पर दिए गए। इसके अतिरिक्त, इस समयावधि के दौरान 68 विधिक शिविर आयोजित किए गए और अनुसूचित जाति के 20 व्यक्तियों, अनुसूचित जनजाति के 18 व्यक्तियों, 179 महिलाओं, दो बच्चों, हिरासत में रखे गए चार व्यक्तियों और सामान्य श्रेणी के 106 व्यक्तियों समेत कुल 329 मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की गई।

63. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, पैम्फलेट्स,

पुस्तिकाओं, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित कर रहा है। राज्य सरकार की नीतियों के संबंध में लोगों को जागरुक बनाने के उद्देश्य से वीडियो शो और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को प्रभावशाली ढंग से जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा एक साप्ताहिक कार्यक्रम 'हिम बीट्स' का संचालन किया जा रहा है, जिसे आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ–साथ एफ.एम चैनल से भी प्रसारित किया जा रहा है। नशा निवारण के संबंध में विभाग द्वारा एक विशेष अभियान निरंतर चलाया जा रहा है ताकि लोगों को मदिरा सेवन, धूम्रपान और मादक पदार्थों इत्यादि के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

64. मेरी सरकार लोगों के समग्र विकास और कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। गरीबी उन्मूलन, समाज के विभिन्न वर्गों में सौहार्द व समन्वय स्थापित करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास राज्य सरकार का लक्ष्य है। राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन को विशेष प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2007–2008 की 2100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना की तुलना में मेरी सरकार ने वर्ष 2008–09 की वार्षिक योजना को 2400 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, इसके लिए कुल योजना आकार का 34.09 प्रतिशत रखा गया है। मेरी सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान को प्रति माननीय विधायक पांच लाख रुपये बढ़ाया है और वर्ष 2007–08 की 25 लाख रुपये की योजना में वृद्धि कर इसे वर्ष 2008–09 में 30 लाख रुपये किया है।

65. इन शब्दों के साथ मैं अपने अभिभाषण को विराम देना चाहती हूं। मैं आश्वस्त हूं कि इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचारों का आदान–प्रदान करेंगे और विशेषकर बजट बहस में बढ़–चढ़कर

भाग लेंगे तथा राज्य और यहां के लोगों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।

जय हिन्द, जय हिमाचल